राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5424/2022

संजय कुमार शर्मा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, सुकार, बामनवास, जिला सवाई माधोपुर।
4. प्रहलाद गुर्जर, अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम संस्कृत, राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, रानोली, टोड़ाभीम, जिला करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 28.09.2022
आदेश की दिनांक : 08.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम संस्कृत के पद पर राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, सुकार बामनवास, जिला सवाई माधोपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, खवा, सवाई माधोपुर से स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुए राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, एस.बी.आई. बैंक के पास सुकार, सवाई माधोपुर अंकित करते हुए निरस्त कर यथावत कर दिया गया। आदेश दिनांक 11.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, खवा सवाई माधोपुर से राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, सुकार बामनवास, जिला सवाई माधोपुर किया गया था जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 13.09.2022 के द्वारा

कार्यग्रहण कर लिया था। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने के पश्चात् 11 दिवस की अल्पावधि बाद ही आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 के द्वारा पुनः स्थानान्तरण कर दिया गया, जो अनुचित व विधि के विरूद्ध है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने रामेश्वर गुर्जर बनाम सरकार में पारित आदेश की ओर अधिकरण का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें ऐसे अल्पावधि में स्थानान्तरण आदेशों को अनुचित माना है।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को यथावत कार्य करने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि स्थानान्तरण आदेश दिनांक 24.09.2022 पूर्णतः प्रशासनिक आवश्यकताओं एवं नियमानुसार राज्यहित में किया गया है, उक्त आदेश में किसी भी प्रकार से कोई अवैधता नहीं है। नियोक्ता का यह अधिकार है कि वह अपने अधीन कार्यरत किसी नियोजक को एक स्थान से दूसरी जगह हस्तान्तरित कर सकता है। अतः इस आदेश में किसी प्रकार की कोई दुर्भावना नहीं है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों में यह मत प्रतिपादित किया है कि आदेशों के नियमों के उल्लंघन अथवा दुर्भावना के आधार पर ही चुनौती दी जा सकती है। दिनांक 11.09.2022 के द्वारा अपीलार्थी का शैक्षणिक व्यवस्था मद्देनजर रखते हुए एवं प्रशासनिक आधार से राउप्रासंवि खवा जिला सवाई माधोपुर से स्थानान्तरण रावरिउपासंवि सुकार जिला सवाई माधोपुर में किया गया था। विभागीय आदेश दिनांक 24.09.2022 के द्वारा निरस्त कर यथावत रखा गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल प्रथम संस्कृत के पद पर राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, सुकार बामनवास, जिला सवाई माधोपुर में कार्यरत है। आदेश दिनांक 11.09.2022 के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, खवा, सवाई माधोपुर से राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, सुकार, बामनवास, सवाई माधोपुर किया गया था और आलोच्य आदेश दिनांक 24.09.2022 के

अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी को खवा, सवाई माधोपुर से स्थानान्तरणाधीन दर्शाते हुए एस.बी.आई. बैंक के पास सुकार, सवाई माधोपुर किया गया है। इससे यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण सुकार, सवाई माधोपुर जिले के अंदर ही छात्रहित/जनहित को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अपीलार्थी ने अपील में ऐसा कोई अन्य आधार का भी उल्लेख नहीं किया जिससे यह प्रकट हो कि अपीलार्थी को नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने में कठिनाई हो। किसी भी कार्मिक को एक ही स्थान पर पदस्थापित रहने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

> *"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal rights."*

इस प्रकार उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील में बल न होने के कारण खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण एतद् द्वारा खारिज की जाती है। अधिकरण द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 11.10.2022 की पुष्टि कर प्रावकाश (vacate) किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य